

5. शारीरिक क्षमता :-

उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों का भली भाँती पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

बिहार पुलिस सेवा/जिला समादेष्टा/काराधीक्षक पद के उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली (परिशिष्ट 'क') में प्रकाशित है। वर्तमान विज्ञापन में अभी तक उक्त पद समाहित नहीं है। पैतृक विभाग से अध्यायना प्राप्त होने के उपरान्त उक्त नियमावली लागू होगी।

6. शुल्क :-

अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा (यथा 71<sup>st</sup> CCE / FAO के लिए Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये तथा अलग-अलग प्रत्येक परीक्षा (यथा 71<sup>st</sup> CCE / FAO के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:-

- सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 600/- (छः सौ) रुपये
- केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 600/- (छः सौ) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:- (1) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

- वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना

I. प्रारम्भिक परीक्षा (भाग-1):-

- एकीकृत संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।
- प्रारम्भिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) किया जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए  $\frac{1}{3}$  (एक तिहाई) Negative Marking का प्रावधान है।
- प्रारम्भिक परीक्षा महज जाँच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस (10) गुणी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।
- इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।
- इस प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्ता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

II. मुख्य (लिखित) परीक्षा (भाग-2):-

| क्र.सं. | परीक्षा/पद का नाम                 | अनिवार्य विषय (विषय कोड)                                                                                                           | वैकल्पिक विषय                                                                                                  | विषय कोड |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01      | 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा | (i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ) | निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 100 अंक (100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ/MCQ आधारित) का होगा। |          |